

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला रायपुर (छ.ग.)

// आम सूचना //


क्रमांक / 2195 उपसंचा. / पंचा. / निर्वा. / 2024-25,

रायपुर, दिनांक 12/12/24

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है, कि जिले के ग्राम पंचायत के पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्थान का विवरण	कार्यवाही का दिनांक	कार्यवाही प्रारंभ का समय
1.	धरसीवा	कार्यालय, जनपद पंचायत धरसीवा	17.12.2024	सुबह 11.00 बजे से
2.	तिल्दा-नेवरा	कार्यालय, जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा		
3.	अमनपुर	कार्यालय, जनपद पंचायत अमनपुर		
4.	आरंग	कार्यालय, जनपद पंचायत आरंग		

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।


कलेक्टर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला रायपुर (छ.ग.)

// आम सूचना //

क्रमांक /21.96/ उपसंचा. / पंचा. / निर्वा. / 2024-25, रायपुर, दिनांक 12/12/24

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है, कि जिले के जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

1. स्थान का विवरण - रेडक्रास सोसायटी सभा कक्ष, कलेक्टरेट परिसर, रायपुर
2. कार्यवाही का दिनांक - 19.12.2024
3. कार्यवाही प्रारंभ का समय - दोपहर 12.00 बजे से

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

कलेक्टर
जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला रायपुर (छ.ग.)

// आम सूचना //

क्रमांक ~~2197~~ उपसंचा./पंचा./निर्वा./2024-25, रायपुर, दिनांक ~~12/12/24~~

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है, कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

1. स्थान का विवरण - रेडक्रास सोसायटी सभा कक्ष, कलेक्टरेट परिसर, रायपुर
2. कार्यवाही का दिनांक - 19.12.2024
3. कार्यवाही प्रारंभ का समय - दोपहर 02.00 बजे से

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

कलेक्टर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला रायपुर (छ.ग.)

// आम सूचना //

क्रमांक /2198/ उपसंचा./ पंचा./ निर्वा./ 2024-25,

रायपुर, दिनांक 12/12/24

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है, कि जिले के जनपद पंचायत के सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्थान का विवरण	कार्यवाही का दिनांक	कार्यवाही प्रारंभ का समय
1.	धरसीवा	कार्यालय, जनपद पंचायत धरसीवा	19.12.2024	सुबह 11.00 बजे से
2.	तिल्दा-नेवरा	कार्यालय, जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा		
3.	अमनपुर	कार्यालय, जनपद पंचायत अमनपुर		
4.	आरंग	कार्यालय, जनपद पंचायत आरंग		

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

कलेक्टर,
जिला रायपुर (छ.ग.)


कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 2199 / उपसंचा. / पंचा. / निर्वा. / 2024-25, // आम सूचना // रायपुर, दिनांक 12/12/24

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है, कि जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्थान का विवरण	कार्यवाही का दिनांक	कार्यवाही प्रारंभ का समय
1.	धरसीवा	कार्यालय, जनपद पंचायत धरसीवा	19.12.2024	दोपहर 02.00 बजे से
2.	तिल्दा-नेवरा	कार्यालय, जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा		
3.	अमनपुर	कार्यालय, जनपद पंचायत अमनपुर		
4.	आरंग	कार्यालय, जनपद पंचायत आरंग		

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।


कलेक्टर,
जिला रायपुर (छ.ग.)